झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची, दिनांक-01/06/2026

संख्या-5/आरोप-1-113/2018-36670 (HRMS)/ श्री पवन कुमार महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-204/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला, रामगढ के विरुद्ध उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-355, दिनांक 06.07.2018 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री महतो के विरूद्ध सोलर लाईट, एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट तथा पानी टैंकर के खरीदारी में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7310, दिनांक 27.09.2018 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री महतो के पत्रांक-972, दिनांक 09.10.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री महतो के स्पष्टीकरण विभागीय पत्रांक-9131, दिनांक 17.12.2018 द्वारा उपायुक्त, रामगढ़ से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-698/गो0, दिनांक 01.06.2019 द्वारा श्री महतो के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इन्हें आरोप मुक्त करने की अनुशंसा की गई।

श्री महतो के विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोप, आरोपों पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं इनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-25465(HRMS), दिनांक 20.12.2023 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-421, दिनांक 16.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर विभागीय पत्रांक-3744, दिनांक 23.06.2025 द्वारा पंचायती राज प्रभाग विभाग से विभागीय मंतव्य की माँग की गई।

पंचायती राज प्रभाग विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2551, दिनांक 07.11.2025 द्वारा विभागीय मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में दिए गए मंतव्य से इतर कोई मंतव्य नहीं है, अतएव जाँच प्रतिवेदन में अंकित मंतव्य पर विभागीय सहमति संसूचित की जाती है।

श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप, विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं पंचायती राज प्रभाग विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं पंचायती राज प्रभाग विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री पवन कुमार महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 204/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला, रामगढ को आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री पवन कुमार महतो, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PAWAN KUMAR MAHTO JHK/JAS/146	विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं पंचायती राज प्रभाग विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री पवन कुमार महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 204/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गोला, रामगढ को आरोप मुक्त किया जाता है।

.

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(चिन्टु दोराईबुरु)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:20060400057

ज्ञापांक-5/आरोप-1-113/2018-36670 (HRMS)/राँची दिनांक-01/06/2026

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/आरोप-1-113/2018-36670 (HRMS)/राँची दिनांक-01/06/2026

प्रतिलिपि- माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, रामगढ़/उपायुक्त, सिमडेगा/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी पी0एम0यू0 कोषांग/विभागीय संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3(आरोप)/उप सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-2/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा-3 (चारित्री कोषांग)/श्री पवन कुमार महतो, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 204/20), उप निर्वाचन पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Prepared By:- PRADEEP KISHOR LAKRA - (110070953779)